# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 14/2022 G.C.M.S. No. 2022/61 दर्ज दिनांक : 25.03.2022

अपीलार्थिगण:

1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल, जाति मेघवाल, निवासी मामावास, तहसील सोजत व जिला पाली।

## बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. किस्तुरराम पुत्र तेजाराम, जाति मेघवाल, निवासी मामावास, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. सुखीया बेवा बाबुलाल
3. गोदाराम पुत्र बाबुलाल
4. लक्ष्मी पुत्री बाबुलाल
5. सीता पुत्री बाबुलाल
6. नर्बदा पुत्री बाबुलाल
7. चन्द्राराम पुत्र भैराराम
8. केवलराम पुत्र भैराराम
9. पुखाराम पुत्र भैराराम तमाम जातिगण मेघवाल, निवासी मामावास, तहसील सोजत व जिला पाली।
10. छैलाराम पुत्र तुलसाराम, जाति सीरवी, निवासी मामावास, तहसील सोजत व जिला पाली।
11. राजूराम पुत्र नामालूम, जाति सोनी, निवासी मामावास, तहसील सोजत व जिला पाली।
12. भूमिधारी तहसीलदार सोजत, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2019 बअनवान भंवरलाल बनाम किस्तुरराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963**

पैरोकार –

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री महेन्द्र चौधरी, श्री भरतनाथ, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

## निर्णय

दिनांकः 10.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2019 बअनवान भंवरलाल बनाम किस्तुरराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट वादी द्वारा एक वाद अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट (प्रतिवादी) के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 121 रकबा 17.8100

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर खसरा नम्बर 39 रकबा 0.8600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 120 रकबा 0.4100 हैक्टेयर तीन खसरान की कुल कृषि भूमि रकबा 19.0800 हैक्टेयर भूमि स्थित है, इसमें अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से 9 का 1/3 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होकर अलग–अलग दर्ज नहीं हुई हैं। साथ ही यह भी निवेदन है कि उक्त कृषि भूमि का वाद 43/1998 पेश हुआ। जिसका निर्णय दिनांक 21.12.2001 को हुआ व अपील द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली में अपील संख्या 34/2010 पेश की, जिसका निर्णय दिनांक 18.05.2015 को हुआ व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री खारिज कर दी गई। मूल खसरा नम्बर 121 व अन्य खसरान नम्बर का वजूद उसी रूप में रहा, जो वाद के पूर्व था, राजस्व अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा निगरानी पेश की गई है, जिसकी निगरानी संख्या 3525/2015 व उक्त निगरानी भी विचाराधीन है व आर.ए.ए. पाली के आदेश को स्थगित नहीं किया है। तहसीलदार सोजत वाद, अपील, निगरानी में पक्षकार है, रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा वाद व अपील की कार्यवाही को निष्फल करने के लिए मिलीभगत कर बट्टा नम्बर दर्ज करवाकर उक्त कृषि भूमि रेस्पोंडेण्ट संख्या 10 व 11 को हस्तान्तरण करने हेतु आमादा रहने से अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 188 आर.टी. का वाद पेश किया गया, इस बाद में रेस्पोंडेण्ट संख्या 10 व 11 द्वारा आवेदन आदेश 7 नियम 11 का पेश किया तथा जमाबन्दी में खसरा नम्बर 121 का मूल अस्तित्व होने का इन्कार किया तथा अलग बट्टा नम्बर होना बताया गया व भूमि आबादी में परिवर्तन होना बताया गया व वाद खारिज करने की इस्तदुआ चाही गई, आदेश 7 नियम 11 का जवाब अपीलाण्ट द्वारा पेश किया गया, बाद सुनवाई के आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी तथा अधिवक्ता को भी जानकारी नहीं दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि यह वाद वर्ष 1992 से विचाराधीन है तथा उसके बाद 34/2010 राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहां विचाराधीन रही, वाद दिनांक 18.05.2015 अपील का निर्णय होने पर रेस्पोंडेण्ट संख्या एक द्वारा रेवेन्यू बोर्ड में निगरानी पेश की एवं विवाद लगातार विचाराधीन है। वाद की कार्यवाही चल रही हैं। खसरा नम्बर 121 का बंटवाड़ा नहीं हुआ तथा जो बंटवाड़ा डिक्री एस.डी.ओ. सोजत द्वारा दिनांक 21.12.2001 को पारित की गई थीं, इस डिक्री को राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 18.05.2015 को खारिज कर दिया। इस कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र में दर्ज किये गये अभिवचन व खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के बट्टा नं. का अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी अस्तित्वहीन खसरा नम्बर 121 के बट्टा नम्बर का अस्तित्व दर्ज कर वाद खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई हैं। राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 21.12.2001 को बंटवाड़े की अंतिम डिक्री खारिज की। जिसकी निगरानी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा पेश की। परन्तु रेवेन्यू बोर्ड द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के आदेश को स्थगित नहीं किया, इस कारण दिनांक 18.05.2015 का आदेश प्रभाव में हैं तथा दिनांक 21.12.2001 का आदेश अपीलीय आदेश में मर्ज हो चुका है। इस कारण से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र कथन चलने योग्य नहीं था। रेस्पोंडेण्ट संख्या एक किस्तुरराम द्वारा एस.डी.ओ, सोजत, राजस्व अपील अधिकारी, पाली, रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में तमाम कार्यवाही में भाग लिया है। वह कार्यवाहियों को कन्टेस्ट किया है व निगरानी भी रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन है तथा तहसीलदार भी तमाम कार्यवाहियों में पक्षकार रहा है भूमि विवादित है। विवादित रहते भूमि का जिसका निर्णय बट्टा नम्बर व विभाजन का खारिज कर दिया, उसके बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश विवादित भूमि का कर दिया जो बट्टा नम्बर अस्तित्व में ही नहीं थें, इस कारण क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर संपरिवर्तन आदेश पारित किया, जो आदेश शून्य है। अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व अन्य के बीच में अपील व निगरानी विचाराधीन है व अपीलाण्ट को इसके कब्जे के आधार पर हिस्से की भूमि नहीं दी गई। जो राजस्व अपील अधिकारी पाली के अपील मीमो व नक्शे में दर्ज है। वह अपील अपीलाण्ट की स्वीकार रही व उसे निरस्तसुदा बट्टा के खसरा नम्बर पर जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा व उपयोग व उपभोग है एवं वह विवादित है। इस पर शून्य आदेश इकाई कनवर्जन किया गया। उक्त आदेश अस्तित्वहीन है। अपीलाण्ट का वाद खसरा नम्बर 121, 39, 120 के संबंध में था, इस कारण कानूनन वाद खारिज करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था। रेस्पोंडेण्ट संख्या 10 व 11 खातेदार नहीं है। मूल खातेदार रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 9 ही थे, रेस्पोंडेण्ट संख्या 10 व 11 द्वारा वाद व अपील कार्यवाही के विचाराधीन कार्य द्वारा अविभाजित भूमि का विशिष्ठ हिस्सा खरीद करना बताया गया है। वादी की कार्यवाही के दौरान रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को बेचाण करने का अधिकार नहीं था तथा धारा 52 टी.पी. एक्ट के प्रावधान के उल्लघंन व वाद के विचाराधीन भूमि खरीद की गई है। इस कारण लीस पेडेंन्स की तारीफ में उक्त बेचाण के आधार पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 10 व 11 को कोई अधिकार पैदा ही नहीं हुए हैं तो उक्त रेस्पोंडेण्ट आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद खारिज करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं, जो सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2021 द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 04.03.2022 को प्रस्तुत की गई। जो विलंब से प्रस्तुत हुई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 30.12.2021 को अधिवक्ता के पास जानकारी प्राप्त करने हेतु जाने पर अधिवक्ता द्वारा फैसले की नकल प्राप्त करने बाबत कहा गया, जो दिनांक 03.01.2022 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपीलांट बीमार हो गया तथा अधिवक्ता से संपर्क कर अपील पेश की गई। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2021 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई हैं। जबकि अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियमके प्रार्थना पत्र में शपथपत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2021 को होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा बेहद लापरवाही व गैर जिम्मेदारीपूर्ण व यांत्रिक रूप से कथनों को अंकित किया है, जिनका कोई आधार व विश्वसनीयता नहीं मानी जा सकती। अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में लगभग लगभग 9 माह अर्थात 270 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में वादी है तथा अपीलांट की ओर से बखूबी अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था। वादी पक्षकार से यह अपेक्षा रहती हैं कि वह उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पूर्ण संजीदगी व तत्परता बरते तथा अपने अधिवक्ता से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नियमित संपर्क में रहें। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई तथ्य व कारण प्रकट नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हों कि उसके द्वारा प्रकरण में पर्याप्त सतर्कता बरती गई हों। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब वस्तुतः अपीलांट की स्वयं की लापरवाही व उदासीनता के कारण हुआ है तथा अपीलांट द्वारा विलंबकाल के लिए प्रस्तुत कारण विश्वसनीय, पर्याप्त, युक्तियुक्त व सद्भाविक नहीं होकर अपीलांट द्वारा यांत्रिक रूप से अंकित आधारहीन कथन मात्र है। अतः ऐसी स्थिति में जब अपीलांट को विलंब के लिए एक–एक दिन के लिए पर्याप्त व युक्तियुक्त कारण प्रकट करने अपेक्षित होते हैं लेकिन अपीलांट ऐसा करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः हमारे विनम्र मत में विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली